1529 / M-06 / 53 दिनांक 22/07/2023

भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु जनपद–शाहजहाँपुर में गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 26.06.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यकमों के प्रभावी कियान्वन तथा मूल्याकंन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 26.06.2023 को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। DWSM की बैठक मे निम्न सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	अध्यक्ष
2	मुख्या विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य	सदस्य
5	परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर	सदस्य
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
7	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
8	अधिशासी अभियंता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
9	अधिशासी अभियंता, ग्रांउड वाटर शाहजहाँपुर	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
11	जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
12	अधिशासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य
13	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म (2025 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। जिसमें से 860 नग डी0पी0आर0 (2025 राजस्व ग्राम) की डी0डब्ल्यू0एस0एम0 से स्वीकृत है। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गये निर्देशो के अनुपालन मे प्राक्कलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम एवं मै0 मेधज टैक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), शाहजहाँपुर द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे ली गयी कार्यो की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्न निर्देश दिये गये–

- सड़कों की पुर्नस्थापना के कार्य किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुबन्धित संस्था को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि सड़कों को खोदने के साथ ही पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्य पूर्ण होते ही मोटरेबल करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाये एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि अस्थाई एवं स्थाई तौर पर जब तक तोड़ी गयी सड़क संतोषजनक रूप से पुर्नस्थापित न हो जाये तब तक पुर्नस्थापना के कोई भी भुगतान न किये जायें तथा पुर्नस्थापना की गुणवत्ता अधोमानक होने की स्थिति में यदि बिल पारित कर दिया गया होगा तो उसके जिम्मेदार अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) होंगे।
- मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड द्वारा कराये जो रहे कार्यों की गुणवत्ता सत्यापन एवं बिल सत्यापन की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) की है। अगर कार्य की गुणवत्ता कहीं खराब पायी जाती है तो उसके लिए मै0एन0सी0सी0 के साथ–साथ अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- कुछ ग्रामों में पाया गया कि मै0एन0सी0सी0 द्वारा जल संयोजन घरों के बाहर एवं सड़क पर दे दिया जा रहा है ऐसे किसी के संयोजन का भुगतान न किया जाये। यदि उसका भुगतान होता है तो अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) उत्तरदायी होंगे।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा करायी जा रही पुर्नस्थापना की जांच हेतु जिला पेयजल स्वच्छता मिशन के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम पांच योजनाओं का निरीक्षण किया जायेगा तथा उसकी आख्या मुख्य विकास अधिकारी महोदय को उपलब्ध करायी जायें, जिसकी समीक्षा प्रत्येक जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बैठक में की जायेगी। उक्त क्रम में जिलाधिकारी महोदय जल निगम (ग्रामीण) के प्रत्येक अवर अभियन्ता को 03 ग्राम पंचायत, सहायक अभियन्ता को 02 ग्राम पंचायत तथा अधिशासी अभियन्ता को 01 ग्राम पंचायत प्रतिदिन भ्रमण कर निरीक्षण आख्या फोटोग्राफ सहित अनिवार्य रूप से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन से स्वीकृत हुई समस्त डी0पी0आर0 पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
- बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड को अवशेष कवर अनुबन्ध 03 दिन में गठन करने हेतु निर्देशित किया गया।
- फर्म मै0एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ ग्राम पंचायतों में ग्रामवासी कनेक्शन लेने से मना कर रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए आई0एस0ए0 एजेन्सी को जन जागरूकता के माध्यम से कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया।
- आई0ई0सी0 से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा नामित फर्म M/S WINGS द्वारा करायी जा रही सम्बन्धित गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण व रूप रेखा 03 से 04 दिन में जिला

पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

- आई0एस0ए0 एजेन्सी की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अभी 05 कलस्टर (02–02 कलस्टर क्रमशः मै0शिक्षा भारती व पी0एस0सेवा समिति के डिस्कोप होने से तथा एक अन्य कलस्टर) आवंटन हेतु शेष है। वर्तमान में मै0 राजस्थान ह्यूमन केयर फाउण्डेशन द्वारा रू0 100300.00 व मै0 भावना सेवा संस्थान द्वारा रू0 85600.00 तथा मै0भूषण सेवा संस्थान द्वारा रू0 27735.00 का जलशुल्क कलेक्शन तथा प्रतिदिन कार्य की प्रगति का प्रतिशत क्रमशः 0.665, 0.290 एवं 0.260 मिल रही है। जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अवशेष 05 कलस्टरों में से 04 मै0 राजस्थान ह्यूमन केयर फाउण्डेशन तथा 01 मै0 भावना सेवा संस्थान को आवटिंत किये जायें।

- मै0 भावना सेवा संस्थान द्वारा प्रस्तुत किये गये हर घर जल उत्सव के बीजक रू0 227000.00 व हर घर दीपावली के बीजक रू0 20040.00 के सम्बन्ध में उसकी सत्यापन/जांच नामित जिला स्तरीय अधिकारियों से करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर
सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

प्रभागीय बनाधिकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
उपाध्यक्ष

जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।